

14.05.2024 पत्रावली पेश हुई।

बाड़ी अधिवक्ता अनुपस्थित। रुक-रुक कर
तीन बार आवाज लगाई गई बावजूद
इसके कोई जवाब नहीं मिले। प्रतीत
होता है कि अधिवक्ता बाड़ी अपने दावे
को लेकर जम्मीर नहीं हैं। अतः दावा
असमंजस ही माना जायेगा। इसी तरह
पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली के लिये शुमार होकर
नम्बर से काम की जाकर दाखिल दफ्तर

ली। (५०)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) साँचौर



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
साँचौर, जिला साँचौर, राजस्थान